



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
पंचदीप भवन, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग चंडीगढ़- 160019
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019
Phone-0172-2544126, Email: rd-punjab@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

14/05/2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
में आयोजित मासिक सुविधा समागम का कार्यवृत्त
MINUTES OF MONTHLY SUVIDHA SAMAGAM HELD ON 14/05/2025 AT
RO, CHANDIGARH

14/05/2025 (महीने का दूसरा बुधवार) को अपराह्न 03:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में एक मासिक सुविधा समागम आयोजित किया गया था। लालरू।

A monthly Suvidha Samagam was held on 14/05/2025 (Second Wednesday of the month) at 03:00 PM at Regional Office, Chandigarh.

सुविधा समागम में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:

Following officials participated in the Suvidha Samagam:

1. श्री. पंकज वोहरा, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पंजाब
Sh. Pankaj Vohra, Regional Director (I/C) RO, ESIC, Punjab
2. श्री. राजीव छाबड़ा, रा.चि.अ., क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पंजाब
Sh. Rajeev Chhabra, SMO, RO, ESIC, Punjab.
3. श्री. हरपाल सिंह, सहायक निदेशक (शाखा अधिकारी – हितलाभ)
Sh. Harpal Singh, Asstt. Director (BO-Benefit)
4. डॉ. सोनिया अरोड़ा, क.रा.बी. 29 औषधालय, चंडीगढ़
Dr. Sonia Arora, ESI 29 dispensary, Chandigarh
5. श्री. संजीव कुमार, शाखा प्रबंधक, डेरा बस्सी
Sh. Sanjeev Kumar, Branch Manager, Dera Bassi
6. श्रीमती लवलीन सिंह, शाखा प्रबंधक, चंडीगढ़
Smt. Loveleen Singh, Branch Manager, Chandigarh
7. श्रीमती किरण गेरा, शाखा प्रबंधक, मोहाली
Smt. Kiran Gera, Branch Manager, Mohali
8. सुश्री अमनदीप कौर, अधीक्षक (हितलाभ)
Ms. Amandeep Kaur, O.S. Benefit
9. श्री सोहन सिंह, अध्यक्ष, लालरू नियोजक संघ
Sh. Sohan Singh, President Lalru Employer Association.
10. श्री अमित कुमार, रामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लालरू
Sh. Amit Kumar, Rama Industries Ltd., Lalru.

सुविधा समागम की अध्यक्षता श्री पंकज वोहरा, क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, पंजाब ने की। शिकायतों और मुद्दों/सुझावों पर निम्नानुसार चर्चा की गई -

The Suvidha Samagam was presided over by Sh. Pankaj Vohra, Regional Director RO, ESIC, Punjab. The grievances and issues/ suggestions discussed as under -

1. श्री सोहन सिंह, अध्यक्ष लालरू नियोक्ता संघ ने निम्नलिखित प्रश्न उठाए:

Sh. Sohan Singh, President Lalru Employer Association raised following queries:

- क्षेत्र में क.रा.बी अस्पताल/डिस्पेंसरी में चिकित्सकों की कमी, दवाओं की कमी और अस्पताल में भर्ती में कमी।

Shortage of Doctors, Medicines and hospitalization in ESI Hospital/ Dispensary in region.

- रेफरल प्रक्रिया में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया और पैनल को बताया कि हरियाणा में रेफरल प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं है जितनी यहाँ है।

The difficulties faced by the IPs in the referral process. He gave the example regarding Haryana and told the panel that the referral process in Haryana is not as lengthy as it is here.

- उन्होंने यह भी बताया कि अनुवर्ती प्रक्रिया के लिए समान रेफरल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

He also pointed out that for the follow up process requires the same referral process.

राज्य चिकित्सा अधिकारी, श्री राजीव छाबड़ा ने संबंधित को रेफरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि पूरे वर्ष में केवल दो बार रेफरल की आवश्यकता होती है और कहा कि पहला रेफरल उस वर्ष जनवरी से जून तक लागू होता है और दूसरा रेफरल उस वर्ष जुलाई से दिसंबर तक लागू होता है। रेफरल क.रा.बी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने वाले उपचार के लिए लागू होता है और आपातकालीन मामलों में बीमाकृत व्यक्ति किसी भी अस्पताल के आपातकालीन अनुभाग में जा सकता है।

SMO Shri Rajeev Chhabra informed concerned about the referral process and told him that referral is required only two times in whole year and stated that first referral is applicable from January to June of the same year and second referral is applicable from July to December of the same year. Referral is applicable for the treatment not available in ESI Hospital and in emergency cases the

IP can go to emergency section of any Hospital.

2. श्री सोहन सिंह, अध्यक्ष लालरू नियोजक संघ ने बताया कि जब से कार्यालय डेराबस्सी में स्थानांतरित हुआ है, तब से लालरू में काम करने वाले कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि जब लालरू में शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, तब वहां बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या कम थी, लेकिन अब उस विशेष क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है और उन्होंने संगठन को शाखा कार्यालय खोलने के लिए मुफ्त भूमि और भवन की पेशकश की।

Shri Sohan Singh, President Lalru Employer Association, pointed out the since the office has been shifted to Derabassi it has been a huge loss to the workers working in Lalru as there is huge amount of workers. He also pointed out that when the BO was first inaugurated in Lalru, there was respectively a smaller number of IPs there but now there is huge number of IPs in that particular area and offered the organisation free land and building to open the Branch Office.

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) ने इस मुद्दे को संबोधित किया और संबंधितों को सूचित किया कि मुख्यालय ने शाखा कार्यालय खोलने के लिए भवन/स्थान की उपलब्धता के लिए बीएसएनएल से संपर्क करने का निर्देश दिया है और क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या की जांच करने की भी सलाह दी है। उन्होंने संबंधित को यह भी बताया कि अंबाला से निकटता भी शाखा खोलने में एक कारक है। उन्होंने संबंधित को यह भी आश्वासन दिया कि नीति के अनुसार उपरोक्त का विश्लेषण करने के बाद प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा और मामले में निर्णय मुख्यालय के द्वारा लिया जाएगा।

(समन्वय शाखा द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता)

The RD (I/C) addressed the issue and informed the concerned that the HQrs has instructed and advised to contact BSNL for availability of building/space regarding opening of a BO and also advised to check the No. of IPs in the area. He also told the concerned that proximity to Ambala is also a factor in opening a BO. He also assured the concerned that proposal will be sent to Hqrs after analysing the above, as per policy and the Decision rest with the Hqrs in the case.

(Action needed by Coordination Branch)

3. श्री. अमित कुमार, रामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लालरू ने बीमाकृत व्यक्ति के माता-पिता का नाम जोड़ने के लिए स्वघोषणा और हलफनामे की आवश्यकता के बारे में जानकारी मांगी। शाखा प्रबंधक, लालरू, श्री संजीव कुमार ने शिकायत का समाधान किया और बताया कि माता-पिता के नाम जोड़ने के लिए अपेक्षित दस्तावेज अनिवार्य हैं, माता के लिए हलफनामा और पिता के लिए स्वघोषणा की आवश्यकता है।

Sh. Amit Kumar, Rama Industries Ltd., Lalru inquired about the addition of parent's name of IP regarding Self declaration and affidavit requirement.

BM Lalru, Shri Sanjeev Kumar addressed the grievance and told that requisite documents are mandatory for the addition of the names of parents for mother an affidavit is required and for father a self-declaration is required.

समागम अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ।

The Samagam ended with vote of thanks to chair.

Digitally signed by
HARPAL SINGH
Date: 10-06-2025
11:30:17